न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 221 सन 2018

अनवान :–

1. कृष्णा पत्नी महादेव जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. जयसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रूपसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बनेसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विक्रम सिह स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अधिशाषी अभियन्ता गन्धेली साहवा परियोजना तहसील तारानागर चुरू

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री महेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी
श्री हवासिह पूनिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 26/03/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बिरकाली के खसरा न0 177/42 की 7.16 बीधा , खसरा न0 117/50 की 1.00 बीधा , खसरा न0 119/43 की 3.00 बीधा खसरा न0 117/51 की 2.00 बीधा खसरा न0 117/3 की 12.00 बीधा खसरा न0 137/11 की 22.04 बीधा खसरा न0 137/19 की 1.00 बीधा , खसरा न0 137/20 की 5.00 बीधा खसरा न0 137/12 की 24.00 बीधा , खसरा न0 137/4 की 18.00 बीधा खसरा न0 137/13 की 2.16 बीधा कुल 98.16 बीधा भूमि अर्थात 1968 हिस्सा भूमि मूलसिह पुत्र मुकन्दरसिह , मानसिह पुत्र मोतीसिह के नाम दर्ज थी।

उक्त भूमि का खसरा में प0न0 में परिर्वतन हो गया अर्थात किलाबन्दी हो गई जिसमें रोही मौजा बिरकाली के प0न0 197/42(486) क किला न0 18 ,19 ,20/0.16 बीधा ,21 की 0.16बीधा , 22 ता 25/4.00बीधा प0न0 117/50(485) के कलि न0 21/1.00 , प0न0 117/43(521) के किला न0 3 ता 5 प0न0 117/21(520) के किला न0 1 ,10 प0न0 136/3 (524) किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 प0न0 337/11(525) के किला न0 3 ता 19 ,20/0.16 ,21/0.16 ,22 ता 25 प0न0 137/119(526) के किला न0 21 प0न0 137/20(560) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 प0न0 137/92(561) के किला न0 1/0.16 ,2 ता 19 , 20/0.16 ,21 [illegible] 37/4(562) के किला न0 3 ता 8 ,12 ता 19 ,22 ता 25 प0न0 137/13(602 [illegible] न0 1 ता 3 कुल किता 99 की 98.16 बीधा में परिर्वतन की गई थी।

मूलसिह व मानसिह की 1976 हिस्सा [illegible] मु0न0 137/04 (5 [illegible] किला न0 22 की 0.005 बिश्वा जो मुलसिह के कब्जा काश्त [illegible] थी जो जलदाय [illegible] के द्वारा अवाप्त कर ली और मुलसिह ने मुआवजा प्राप्त कर लिया जिसका इन्तकाल संख्या 88 दिनांक 12.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

03.1983 को जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया गया तत्तपश्चात मूलसिह के कब्जा काश्त की भूमि मु0न0 137/04(562) के किला न0 19/0.002, किला न0 22/0.015 किला न0 23/0.01 बिस्वा कुल 0.18 बिश्वा भूमि पुनः जलदाय विभाग के लिये अवाप्त की गई जिसका मुआवजा मूलसिह ने प्राप्त कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 23.031985 को जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया गया इसप्रकार कुल 1976 हिस्सा भूमि में से 23 हिस्सा भूमि अवाप्त होने के बाद शेष 1953 हिस्सा भूमि शेष रही ।

मामनसिह ने अपना हिस्सा 988 हिस्सा अन्य काश्तकारों को जरिये बेयनामा बेचान कर दिया तथा मानसिह का नाम कलमजन कर खरीददारों के नाम दर्ज हुआ और मुलसिह के 988 हिस्सा में से 23 हिस्सा जलदाय विभाग के नाम दर्ज हुआ मूलसिह ने 960 हिस्सा अलग अलग बेयनामा से बेचान कर दिया अब मूलसिह के नाम कोई भूमि रही थी

राजस्व रिकार्ड में जलदाय विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 88 से 0.05 बिश्वा भूमि का आगामी राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही होने के कारण मूलसिह के नाम ही दर्ज चली आ रही है जबकि यह भूमि जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी किला न0 22 में कोई भूमि मूलसिह के नाम शेष नही रही थी इसलिये मूलसिह के नाम से दर्ज भूमि विलोपित की जानी चाहिये थी।

वादीया ने मानसिह खातेदार से मुताबिक सदैव से मूलसिह मानसिह के बीच हुए घरू बटवारा के अनुसार प0न0 134/04(562) के किला न0 7 ,8 ,12 से 14 ,17 ,18 ,19 की 0.14 ,23 की 0.14 बिश्वा कुल 7.08 बीधा भूमि प्राप्त हुई जिस पर काबिज है

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता मूलसिह ने वाद भूमि 1976 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा 988 हिस्सा था जिसमें प0न0 134/4(562) के किला न0 22/0.05 बिश्वा व 0.15 बिश्वा , किला न0 19/0.002 बिश्वा , किला न0 23/0.01 बिश्वा भूमि जलदाय विभाग में अवाप्त होने पर शेष 965 हिससे भूमि थी जिसमें से 960 हिस्सा भूमि का बेचान कर दिया वास्तविक रूप से 0.05 बिश्वा भूमि शेष रहती है किन्तु वरवक्त खाता विभाजन दिनांक 27.12.2004 के अन्तर्गत मूलसिह ने प0न0 137/4(562) के किला न0 19/0.051हैक किला न0 22/.063हिससा किला न0 23/0.063 हिस्सा कुल 0.177 हिस्सा विभाजन गलत तौर से करवा लिया क्योकि मूलसिह की तो शेष 0.05 बिश्वा भूमि ही शेष रहती थी प0न0 137/04(562) के किला न0 22 की समस्त 20 बिश्वा अर्थात 0.253 हैक भूमि जलदाय विभाग को अवाप्त होने पर मिल चुकी थी जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है किन्तु राजस्व अधिकारीयों की गल्ती से नाम हटाया नही गया जिसकी वजह से 0.063हैक भूमि मूलसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जो विधि विरूद्व है।

मौका पर नहर का निर्माण हो चुका है वादिया के भूमि चिपते होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 0.177हैक भूमि का नाजायज फायदा उठा रहे है वादिया उक्त 0.05 बिश्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर विभाग के नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता मूलसिह के 988 हिस्सा में से 23 हिस्सा भूमि जलदाय विभाग ने अवाप्त करने एवं 960 हिस्सा भूमि का बेचान करने के उपरान्त व उसकी बची हुई शेष भूमि 0.05 बिश्वा पर नहर बन जाने के कारण उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहता है प्रतिवादी सख्या 1 ता 4 के नमा रोही मौजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 340/285 में दर्ज 0.177हैक भूमि कलमजन कर विभाग के नाम दर्ज फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या [illegible] जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद में [illegible] जबाब दावा पेश किया की

वादीया वाद भूमि की किसी श्रेणी की काश्तकार नही है तथा दावा वादीया मेन्टेबल नही है वादीया का विवादित भूमि पर कब्जा नही है इसलिये कब्जा के अभाव में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा मेनटेबल नही है वादग्रस्त भूमि से वादीया का कोई सरोकार नही है तथा ना ही कोई हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकार है तथा उन्हे

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि बाबत दावा लाने की कोई लॉक्स स्टेन्डाई हासिल नही है विवादित भूमि उतरदाता प्रतिवादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है तथा लगातार राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है अब वादीया ने वाद पेश किया है वादीया को वाद लाने का कोई अधिकार नही है ना ही कॉल ऑफ एक्शन हासिल है प्रतिवादीगण वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं नियमानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है वादीया को दावा लाने का कोई वाद कारण व वाद हेतुक हासिल नही है तथा वादीया विधि द्वारा वर्जित है तथा काबिल इखराजी है वादीया क्लीन हैण्डस अदालत में नही आई है वादीया लालचवशं वाद सिफ उतरदाता को तंग व परेशान करने की नियत से झूठा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है अतः वादीया का वाद मय खर्च खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 अधिशाषी अभियन्ता गन्धेली साहवा परियोजना तहसील तारानागर चुरू ने वादीया के वाद में अंकित तथ्यों के सम्बध में जबाब पेश किया की वाद भूमि जलदाया विभाग के द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा भूमि सम्बधित काश्तकार को दिया जा चुका है व अवाप्त की गई भूमि का विभाग के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो गया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही हुआ जिसे दर्ज करवाया जावे विभाग की भूमि विभाग के नाम दर्ज करवाई जावे।

प्रतिवादीगण का जबाब दावा पेश होने पर वादीया के वाद एव प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई ।

1. आया घोषणा की जावे कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प0न0 486 मु0न0 485 व मु0न0 521 व मु0न0 322 व मु0न0 524 व मु0न0 525 व मुन0 526 मु0न0 560 व मु0न0 562 व मु0न0 602 की कुल 98.16 बीघा भूमि स्व मूलसिह का 988 हिस्सा जिसमें से 23 हिस्सा जलदाय विभाग ने आवाप्त कर लिया था शेष 960 हिस्सा विक्रय कर दिया शेष बची 0.05 बिश्वा में नहर बन जाने के कारण उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।? वादीया
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम रोही मौजा बिरकाली बारानी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 340/285 में दर्ज 0.177हैक्ट भूमि में नाम कलमजन किया जावे।? वादीया /प्रतिवादी संख्या 6
3. आया प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादिया की खातेदारी भूमि रोही मौजा बिरकाली बारनी तहसील नोहर की जमाबन्दी समवत 2070–73 के खाता संख्या 69 के खसरा न0 137/04 मु0न0 562 के किला न0 7 ,8 ,12 ता 14 ,19 ,23 कुल 2.378हैक्ट भूमि जो वादीया के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण स्वय अथवा अपने आदमियों से मंदाखलत बैजा ना करे तथा जलदाय विभाग की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम रोही मोजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070 के खाता संख्या 340/285 के प0न0 137/04(562) के किला न0 19/20.051हैक्ट किला न0 22/2 की 0.063 , किला न0 23/2 की 0.063हैक्ट कुल 0.177हैक्ट भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बेय अथवा मुन्तकिल न करे । **वादीया/प्रतिवादी संख्या 6**
4. आया वादीया विवादित भूमि की किसी श्रेणी की काश्तकार नही है दावा वादिया मेन्टेबल नही होने के कारण खाजिर योग्य है।? प्रतिवादी
5. आया वादीया का वाद भूमि पर कब्जा न होने के कारण कब्जा के अभाव में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का मेन्टेबल न होने के कारण खारीज योग्य है।? प्रतिवादी
6. आया वादीया क[illegible] हासिह नही है ।? प्रतिवादी
7. आया रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है ।? प्रतिवादी
8. आया वादिया को दावा लोने का कोई कॉज ऑफ एक्शन आरिज नही है ।? प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

9. आया दावा वादीया के लालचवंश पेश किया है जो चलने योग्य नही है।?

प्रतिवादी

तनकी कायम की जाने पर उभयपक्षों के साक्ष्य लिये गये वादीया ने साक्ष्य में जरिये पति साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादीगण को साक्ष्य पेश करने का बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बन्द की जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वादीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बिरकाली के खसरा न0 177/42 की 7.16 बीधा , खसरा न0 117/50 की 1.00 बीधा , खसरा न0 119/43 की 3.00 बीधा खसरा न0 117/51 की 2.00 बीधा खसरा न0 117/3 की 12.00 बीधा खसरा न0 137/11 की 22.04 बीधा खसरा न0 137/19 की 1.00 बीधा , खसरा न0 137/20 की 5.00 बीधा खसरा न0 137/12 की 24.00 बीधा , खसरा न0 137/4 की 18.00 बीधा खसरा न0 137/13 की 2.16 बीधा कुल 98.16 बीधा भूमि अर्थात 1968 हिस्सा भूमि मूलसिह पुत्र मुकन्दरसिह , मानसिह पुत्र मोतीसिह के नाम दर्ज थी।

उक्त भूमि का खसरा में प0न0 में परिर्वतन हो गया अर्थात किलाबन्दी हो गई जिसमें रोही मौजा बिरकाली के प0न0 197/42(486) क किला न0 18 ,19 ,20/0.16 बीधा ,21 की 0.16बीधा , 22 ता 25/4.00बीधा प0न0 117/50(485) के कलिा न0 21/1.00 , प0न0 117/43(521) के किला न0 3 ता 5 प0न0 117/21(520) के किला न0 1 ,10 प0न0 136/3 (524) किला न0 6 ता 8 ,13 ता 18 ,23 ता 25 प0न0 337/11(525) के किला न0 3 ता 19 ,20/0.16 ,21/0.16 ,22 ता 25 प0न0 137/119(526) के किला न0 21 प0न0 137/20(560) के किला न0 1 ,10 ,11 ,20 ,21 प0न0 137/92(561) के किला न0 1/0.16 ,2 ता 19 , 20/0.16 ,21/0.16 ,22 ता 25 प0न0 137/4(562) के किला न0 3 ता 8 ,12 ता 19 ,22 ता 25 प0न0 137/13(602) के किला न0 1 ता 3 कुल किता 99 की 98.16 बीधा में परिर्वतन की गई थी।

मूलसिह व मानसिह की 1976 हिस्सा में से मु0न0 137/04 (562) के किला न0 22 की 0.005 बिश्वा जो मुलसिह के कब्जा काश्त में थी जो जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त कर ली और मुलसिह ने मुआवजा प्राप्त कर लिया जिसका इन्तकाल संख्या 88 दिनांक 12.03.1983 को जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया गया तत्तपश्चात मूलसिह के कब्जा काश्त की भूमि मु0न0 137/04(562) के किला न0 19/0.002 , किला न0 22/0.015 किला न0 23/0.01 बिस्वा कुल 0.18 बिश्वा भूमि पुनः जलदाय विभाग के लिये अवाप्त क्री गई जिसका मुआवजा मूलसिह ने प्राप्त कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 116 दिनांक 23.031985 को जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया गया इसप्रकार कुल 1976 हिस्सा भूमि में से 23 हिस्सा भूमि अवाप्तं होने के बाद शेष 1953 हिस्सा भूमि शेष रही ।

मामनसिह ने अपना हिस्सा 988 हिस्सा अन्य काश्तकारों को जरिये बेयनामा बेचान कर दिया तथा मानसिह का नाम कलमजन कर खरीददारों के नाम दर्ज हुआ और मुलसिह के 988 हिस्सा में से 23 हिस्सा जलदाय विभाग के नाम दर्ज हुआ मूलसिह ने 960 हिस्सा अलग अलग बेयनामा से बेचान कर दिया अब मूलसिह के नाम कोई भूमि रही थी .

राजस्व रिकार्ड में जलदाय विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 88 से 0.05 बिश्वा भूमि का आगामी राजस्व रिकार्ड मे अंकन नही होने के कारण मूलसिह के नाम ही दर्ज चली आ रही है जबकि यह भूमि जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की जा चुकी थी किला न0 22 में कोई भूमि मूलसिह के नाम शेष नही रही थी इसलिये मूलसिह के नाम से दर्ज भूमि विलोपित की जानी चाहिये थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने मानसिह [illegible] मानसिह के बीच हुए घरू बटवारा के अनुसार प0न0 134/04(562) के [illegible] न0 7 ,8 ,12 से 14 ,17 ,18 ,19 की 0.14 ,23 की 0.14 बिश्वा कुल 7.08 बीधा भूमि [illegible] हुई जिस पर काबिज है

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता मूलसिह ने वाद भूमि 1976 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा 988 हिस्सा था जिसमें प0न0 134/4(562) के किला न0 22/0.05 बिश्वा व 0.15

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिश्वा , किला न0 19/0.002 बिंश्वा , किला न0 23/0.01 बिश्वा भूमि जलदाय विभाग में अवाप्त होने पर शेष 965 हिससे भूमि थी जिसमें से 960 हिस्सा भूमि का बेचान कर दिया वास्तविक रूप से 0.05 बिश्वां भूमि शेष रहती है किन्तु वरवक्त खाता विभाजन दिनांक 27.12.2004 के अन्तर्गत मूलसिह ने प0न0 137/4(562) के किला न0 19/0.051हैक्ट किला न0 22/.063हिससा किला न0 23/0.063 हिस्सा कुल 0.177 हिस्सा विभाजन गलत तौर से करवा लिया क्योकि मूलसिह की तो शेष 0.05 बिंश्वा भूमि ही शेष रहती थी प0न0 137/04(562) के क़िला न0 22 की समस्त 20 बिश्वा अर्थात 0.253 हैक्ट भूमि जलदाय विभाग को अवाप्त होने पर मिल चुकी थी जिसका इन्तकाल भी दर्ज हो चुका है किन्तु राजस्व अधिकारीयों की गल्ती से नाम हटाया नही गया जिसकी वजह से 0.063हैक्ट भूमि मूलसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जो विधि विरूद्व है।

मौका पर नहर का निर्माण हो चुका है वादिया के भूमि चिपते होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज 0.177हैक्ट भूमि का नाजायज फायदा उठा रहे है वादिया उक्त 0.05 बिश्वा भूमि प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर विभाग के नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वादीया वाद भूमि की किसी श्रेणी की काश्तकार नही है तथा दावा वादीया मेन्टेबल नही है वादीया का विवादित भूमि पर कब्जा नही है इसलिये कब्जा के अभाव में दावा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा मेनटेबल नही है वादग्रस्त भूमि से वादीया का कोई सरोकार नही है तथा ना ही कोई हक व हिस्सा घोषित करवाने का अधिकार है तथा उन्हे वादग्रस्त भूमि बाबत दावा लाने की कोई लॉक्स स्टेन्डाई हासिल नही है विवादित भूमि उतरदाता प्रतिवादीगण के कब्जा कास्त में चली आ रही है तथा लगातार राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है अब वादीया ने वाद पेश किया है वादीया को वाद लाने का कोई अधिकार नही है ना ही कॉल ऑफ एक्शन हासिल है प्रतिवादीगण वाद भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है नियमानुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है वादीया को दावा लाने का कोई वाद कारण व वाद हेतुक हासिल नही है तथा वादीया विधि द्वारा वर्जित है तथा काबिल इखराजी है वादीया क्लीन हैण्डस अदालत में नही आई है वादीया लालचवशं वाद सिफ उतरदाता को तंग व परेशान करने की नियत से झूठा पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है अतः वादीया का वाद मय खर्च खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यो को दोहरतों हुए निवेदन किया की विभाग के द्वारा अवाप्त की गई भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है को विभाग के नाम दर्ज किया जावे पूर्व में विभाग के द्वारा अवाप्त भूमि का नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है किन्तु राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में दर्ज नही होने के कारण प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है अतः प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज भूमि को विभाग के नाम दर्ज किया जाने के आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :-

तनकी न. 1 :- आया घोषणा की जावे कि रोही मौजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के प0न0 486 मु0न0 485 व मु0न0 521 व मु0न0 322 व मु0न0 524 व मु0न0 525 व मुन0 526 मु0न0 560 व मु0न0 562 व मु0न0 602 की कुल 98.16 बीधा भूमि स्व मूलसिह का 988 हिस्सा जिसमें से 23 हिस्सा जलदाय विभाग ने आवाप्त कर लिया था शेष 960 हिस्सा विक्रय कर दिया शेष बची 0.05 बिश्वा में [illegible] जाने के कारण उसका कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

मूलसिह व मा[illegible] के नाम रोही मौजा बिरकाली बारानी में कुल 1976 हिस्सा भूमि दर्ज थी अर्थात 98.1[illegible] बीधा भूमि सयुक्त खाता में दर्ज थी जो पर्चा खतौनी व खाता विभाजन के आदेश की प्रति से स्पष्ट है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मूलसिह व मानसिह के नाम दर्ज उक्त 1976 हिस्सा में से मानसिह ने अपने हक हिस्सा की भूमि 988 हिस्सा भूमि को विभिन्न काश्तकारों को बेचान कर दी जो राजस्व रिकार्ड में खरीददारो के नाम से दर्ज है तथा मूलसिह के कुल हिस्सा 988 हिस्सा भूमि में से जलदाय विभाग के द्वारा रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4(562) के किला न0 22 की 0.05 बिश्वा भूमि आवाप्त की गई जिसे विभाग के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 88 दिनांक 12.03.1983 की गई तत्पश्चात पुनः जलदाय विभाग के द्वारा मूलसिह के कब्जा काश्त की भूमि रोही मौजा बिरकाली बारनी के प0न0 137/4(562) के किला न0 19/0.02बिश्वा , किला न0 22/.015 बिश्वा , किला न0 23/0.01बिश्वा कुल 0.18बिश्वा भूमि आवाप्ति की गई जो विभाग के नाम जरिये नामान्करण संख्या 116 दिनांक 23.031985 के विभाग के नाम दर्ज करने का नामान्तकरण तस्दीक किया गया

इसप्रकार जलदाय विभाग के द्वारा मुलसिह के कब्जा काश्त की भूमि में से रोही मोजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4(562) के किला न0 22 की सम्पूर्ण 20 बिश्वा अर्थात 0.253हैक्‌ भूमि व किला न0 19/0.02 बिश्वा अर्थात 0.0510हैक्‌ व किला न0 23 की 0.01बिश्वा अर्थात 0.0630हैक्‌ भूमि को अवाप्त किया गया था जिसके नामान्तकरण संख्या 88 व 116 भी तस्दीक हो चुके है।

मुलसिह व मानसिह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कुल हिस्सा 1976 में से मानसिह ने अपने हक हिस्सा की 988 हिस्सा का बेचान विभिन्न काश्तकारो को बेचान करने पर मानसिह का कोई हिस्सा शेष नही रहा इसीप्रकार मूलसिह के कुल 988 हिस्सा में से 23 हिस्सा भूमि जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त करने के बाद शेष हिस्सा में से 960 हिस्सा भूमि का बेचान अन्य काश्तकारो को किया जा चुका जो अन्य काश्तकारो के नाम से दर्ज है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मूलसिह के नाम दर्ज भूमि में से रोही मौजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/01 (562) के किला न0 19/0.02 बिश्वा अर्थात 0.0510हैक्‌ 22 की 20 बिश्वा अर्थात 0.253हैक्‌ व किला न0 23 की0.01बिश्वा अर्थात 0.0630हैक्‌ भूमि को जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 88 ,116 स्वीकृत भी हो चुका था किन्तु जलदाय विभाग के द्वारा आवाप्त की गई भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मूलसिह के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम से दर्ज है जो विधि विरूद्व है।

जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई भूमि का नामान्तकरण संख्या 88 ,116 स्वीकृत हो चुका था तो भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विभाग के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी सम्बधित काश्तकार के नाम से दर्ज नही रहनी चाहिये थी सम्भवतय नामान्तकरण तस्दीक होने पर आगामी जमाबन्दीया तेयार करते समय नामान्तकरण संख्या 88 ,116 का अकंन नही होने से सम्बधित काश्तकार के नाम से दर्ज चली आ रही है जो न्यायोचित नही है जलदाय विभाग ने अवाप्त की गई भूमि को अपने नाम दर्ज करने का निवेदन भी किया गया तथा वादिया ने भी राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर यह वाद पेश किया गया है जो विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी में नही आता कोई भी खातेदार राज्यहको की सुरक्षा के लिये वाद पेश कर सकता है।

जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई भूमि जिससे अवाप्त की गई थी के वारिसान के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया जाना उचित है। अतः साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकी न0 1 साबित हाने के कारण वादीया के सहयोग [illegible] संख्या 6 के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी न0 2 :– आया प्रति[illegible] मौजा बिरकाली बारानी की जमाबन्दी सम्वत 2070–73 [illegible] /285 में दर्ज 0.177हैक्‌ भूमि में नाम कलमजन किया जावे।</u>

तनकी न0 2 में अंकित तथ्य तनकी न0 1 के विवेचन में साबित हो चुके है कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/01 (562) के किला न0 19/0.02

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बिश्वा अर्थात 0.0510हैक्ट 22 की 20 बिश्वा अर्थात 0.253हैक्ट व किला न0 23 की0.01बिश्वा अर्थात 0.0630हैक्ट भूमि को जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई थी जिसका विभाग के नाम नामान्तकरण संख्या 88 ,116 स्वीकृत भी हो चुका था किन्तु जलदाय विभाग के द्वारा आवाप्त की गई भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मूलसिह के देहान्त होने पर उसके वारिसान के नाम से दर्ज है जो विधि विरूद्व है।

नामान्तकरण सख्या 88 जो दिनांक 12.03.1983 को स्वीकृत किया गया था तथा नामान्तकरण संख्या 116 जो दिनांक 23.03.1985 को स्वीकृत किया गया था जिसके द्वारा मूलसिह के नाम उक्त भूमि को जलदाय विभाग के नाम दर्ज किया गया था मूलसिह के वारिसान के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में केवल उक्त नामान्तकरणों को जमाबन्दीयों में अकन सहवन से नही होने के कारण दर्ज चला आ रहा है जो कलमजन किया जाकर जलदाय विभाग के नाम दर्ज किये जाने योग्य है अतः तनकी न0 2 प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में तय की जाती है।

<u>**तनकी न0. 3 आया प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वादिया की खातेदारी भूमि रोही मौजा बिरकाली बारनी तहसील नोहर की जमाबन्दी समवत 2070–73 के खाता संख्या 69 के खसरा न0 137/04 मु0न0 562 के किला न0 7 ,8 ,12 ता 14 ,19 ,23 कुल 2.378हैक्ट भूमि जो वादीया के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण स्वय अथवा अपने आदमियों से मदाखलत बैजा ना करे तथा जलदाय विभाग की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम रोही मोजा बिरकाली बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070 के खाता संख्या 340/285 के प0न0 137/04(562) के किला न0 19/20.051हैक्ट किला न0 22/2 की 0.063 , किला न0 23/2 की 0.063हैक्ट कुल 0.177हैक्ट भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बेय अथवा मुन्तकिल न करे**</u>

तनकी न0 3 को साबित करने का भार वादिया पर था वादीया ने अपने नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मदाख्लत बेजा ना करने का अनुतोष चाहा गया है वादीया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार की भूमि में बिना किसी कारण दख़ल करना न्यायोचित नही है अतः वादीया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादीया की भूमि में मदाख्लत बेजा ना करने हेतु पाबन्द करवाने की अधिकारी है तथा तनकी न0 3 में अंकित शेष कथनों के सम्बध में तनकी न0 1 , 2 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है अतः तनकी न0 3 वादीया के पक्ष में पाबन्द करवाने की हद तक स्वीकार की जाती है शेष प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में तय की जाती है।

<u>**तनकी न0 4 ता 9 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था तनकी न0 4 ता 9 में एक ही तथ्य मुख्य है कि वादीया किसी श्रेणी की टिनेन्ट नही है वादिया को वाद लाने का अधिकार नही है ना वाद भूमि वादिया के कब्जा काश्त में है वादीया ने लालचवंश वाद पेश किया गया है।**</u>

वादीया ने वाद भूमि जो प्रतिवादीगण के पूर्वज मानसिह व मूलसिह के नाम दर्ज थी के समय जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज चली आ रही को विभाग के नाम दर्ज करने के लिये पेश किया गया था सदभावी कृषक खातेदार का दायित्व है कि विभागीय भूमिया या राज्य सरकार की भूमिया जिसके आदेश /नामान्तकरण दर्ज होने के उपरान्त भी सम्बधित काश्तकार के नाम दर्ज चली आ रही है को विभाग के नाम दर्ज करने हेतु कार्यवाही कर सकती है तथा हस्तगत वाद में भी वादीया ने अपने लिये किसी प्रकार का अ[illegible] चाहा गया है केवल विभाग की भूमि के नामान्तकरण तस्दी[illegible] [illegible]तकार के नाम सहवन से दर्ज चली आ रही है [illegible] विभाग के [illegible] करने के लिये पेश किया गया था जो सदभावी कृषक का दायित्व भी है व[illegible] भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने के कारण समस्त कथन किये जा रहे है अतः तनकी न0 4 ता 9 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि जलदाय विभाग के द्वारा मुलसिह के कब्जा काश्त की भूमि में से रोही मोजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4(562) के किला न0 22 की सम्पूर्ण 20 बिश्वा अर्थात 0.253हैक भूमि व किला न0 19/0.02 बिश्वा अर्थात 0.0510हैक व किला न0 23 की 0.01बिश्वा अर्थात 0.0630हैक भूमि को अवाप्त किया गया था जिसके नामान्तकरण संख्या 88 व 116 भी तस्दीक हो चुके है किन्त उक्त नामान्तकरण संख्या 88 ,116 का अमल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सहवन से नही होने के कारण आज भी मूलसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज चली आ रही है जो विधि विरूद्व है जलदाय विभाग के द्वारा अवाप्त की गई भूमि रोही मोजा बिरकाली बारानी के प0न0 137/4(562) के किला न0 22 की सम्पूर्ण 20 बिश्वा अर्थात 0.253हैक भूमि व किला न0 19/0.02 बिश्वा अर्थात 0.0510हैक व किला न0 23 की 0.01बिश्वा अर्थात 0.0630हैक भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से कलमजन किया जाकर जलदाय विभाग प्रतिवादी संख्या 6 के नाम दर्ज की जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार वाद वादिया साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वाद वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 340/265 के प0न0 137/4(562) के किला न0 19/2 की 0.0510हैक भूमि व किला न0 22/2 0.063हैक व किला न0 23/2 की 0.0630हैक कुल 0.1770हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है के नाम से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 अधिशाषी अभियन्ता गन्धेली साहवा परियोजना तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. कृष्णा पत्नी महादेव जाति जाट साकिन बिरकाली तहसील नोहर

वादी

बनाम

1 जयसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. रूपसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. बनेसिह पुत्र स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. विक्रम सिह स्व मूलसिह पुत्र मुकन्द सिह जाति राजपूत साकिन बिरकाली तहसील नोहर ज़िला हनुमानगढ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राज़स्व नोहर जिला हनुमानगढ।
6. अधिशाषी अभियन्ता गन्धेली साहवा परियोजना तहसील तारानागर चुरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 221 सन 2018 निर्णय दिनांक– 26/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री महेश चन्द्र शर्मा एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 हवासिह पुनिया एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा बिरकाली बारानी के खाता संख्या 340/265 के प0न0 137/4(562) के किला न0 19/2 की 0.0510हैक भूमि व किला न0 22/2 0.063हैक व किला न0 23/2 की 0.0630हैक कुल 0.1770हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हैं के नाम से कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 6 अधिशाषी अभियन्ता गन्धेली साहवा परियोजना तहसील तारानगर जिला चुरू के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आंज दिनांक 26/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:41:29 IST
Reason: SelfAttested